

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

O Govt. of Haryana

No. 46-2017/Ext.]

CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 14, 2017 (PHALGUNA 23, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2017

संख्या 4/4/2017—आर—II .— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुये तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- ये नियम हिरयाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "3. पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति— उपायुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को वार्ड से सम्बन्धित मतदाता सूची के दावे और आपत्तियां सुनने के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा वार्ड या वार्डी जिनके लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी रहेगा, विनिर्दिष्ट कर सकता है।"।
- 3. उक्त नियमों में, नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
 - "4. वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करना :— (1) उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम (43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल निर्वाचक, जो नगर निमम के किसी वार्ड के अधीन पड़ते हैं, किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।
 - (2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्ड वार वितरित की गई मतदाता सूची निगम के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, तैयार की जाएगी।
 - (3) ज्योंही नगर निगम की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उपायुक्त, तिथि जिस समय तक वार्ड वार मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां या दावे उसमें विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं, को सूचित करते हुए नोटिस सहित प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाएगा। नोटिस सहित निगम के

(707)

प्रत्येक वार्ड की वार्ड वार मतदाता सूची की प्रति उपायुक्त के कार्यातय में, नगर निगम के कार्यातय तथा ऐसे अन्य सहज–दृश्य स्थान (स्थान)) पर विपकाएगा, जैसा उपायुक्त अक्पारित करेः

परन्तु, दावें या आपत्तियां दायर करने के लिए कम से कम पांच दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।

(4) (i) निर्वाचकों को वार्ड वार विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपत्ति विहित प्ररूप क तथा ख . में पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी या उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है :

परन्तु प्ररूप क में दावे उन आवदकों द्वारा दायर किये जाएंगे जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हो। प्ररूप ख में आपत्तियां उन आवेदकों द्वारा दायर की जाएगी, जो मतदाता सूची में सम्मिलित नामों के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हों:

परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति नगर निगम की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेंगे, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित मतदाता सूची में हैं. किन्तु इस नियम के उप–नियम 3 के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं है।

- (ii) पुनरीक्षण प्राधिकारी प्ररूप–1क में दावों का रजिस्टर तथा प्ररूप–1ख में आपत्तियों का रजिस्टर बनाएगी और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा।
- (iii) कोई दावा या आपित्त जो खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर दायर नहीं की जाती है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृतं कर दिया जाएगा।
- (iv) यदि कोई दावा या आपित्ति किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी तुरन्त उसी समय सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा।
- (v) जहां किसी दावा या आपित का निपटान खण्ड (iii) या (iv) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों और आपित्तियों को प्रस्तुत करने की विहित अविध समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी प्राप्त हुये सभी दावों और आपित्तियों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा तथा ऐसे दावों और आपित्तियों की सुनवाई की तिथि तथा स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा। आपित्ति की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिसने यह दिये हैं।
- (vi) यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी को इस निमित्त दिये गये आवेदन पत्र पर या स्व—प्ररेणा पर, वह सन्तुष्ट हो जाता है की प्रारूप मतदाता सूची विधानसभा मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग से भिन्न हैं, तो उकत मतदाता सूची के समरूप उसे संशोधित करने के प्रयोजन के लिये उस मतदाता सूची में संशोधन कर सकता है, कोई प्रविष्टि लोप कर सकता है या जोड़ सकता है।
- (vii) खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और जगह पर पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे या आपित्तयां सुनेगा और सम्बन्धित पक्षों या उसके प्राधिकृत एजैंटों को सुनने के बाद उनकी गुणता के अनुसार दावों और आपित्तियों का निर्णयं करेगा तथा कोई व्यक्ति दावे की दशा में, जो ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए ऐतराज करता है और ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद और प्रस्तुत किए गए सबूत को ध्यान में रख कर और यदि जरूरी समझे, तो:-
 - (क) कोई दावा या आपित, जो इन नियमों के किन्हीं उपवन्धों का पालन नहीं करती, अस्वीकार कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे;
 - (ख) कोई मामला जिसमें दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, खारिज कर सकता है।
- (viii) पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति हो, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आपित्त के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- (ix) पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आपित्तयों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सिहत, ऐसे दावों और आपित्तयों की सूची, उपायुक्त को भेजेगा, जो खण्ड (viii) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाऐगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतिया पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जायेगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सहित

उप-नियम (3) के अधीन दिहित रीति में प्रकाशित की जायेगी। खम्ब (ix) के अधीन परिवर्धित तथा प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।"।

- 4. उक्त नियमों में, नियम 5 से 11 का लोप कर दिया जाएगा।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 12 में ;-
 - (i) रप नियम (3) में, "नियम 4 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) उप नियम (4) में, "नियम 7 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और :
 - (iii) उप नियम (5) में, "नियम (7)" और "नियम 11" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठक के स्थान पर, क्रमशः "नियम 4(3)" और "नियम 4 (4) (ix)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- छक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जाएगा ।
- 7. उक्त नियमों में, नियम–14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
 - "14 अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नानों का शामिल, दिलोपन और सुघार.— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित बार्ड दार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम जोडने/विलोपन/संशोधन हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है:

परन्तु, नगर निगम के नतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम को जोड़ने/विलोपन या _संशोधन तमी किया जाएगा यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर निगम के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसमा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।"।

- .8. उक्त नियमों में, नियम 15 तथा 16 का लोप कर दिया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों में, नियम 17 में, उप-नियम (1) मे,-
 - (i) खण्ड (ग) में, "नियम 9" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(i)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (ii) खण्ड (घ) में, "नियम—10" शब्द, अंक तथा चिह्न के स्थान पर, "नियम 4 (4) (vii) तथा (viii)" शब्द, अंक तथा कोण्डक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (iii) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जाएगा।

एक्त नियमों में, प्ररूप क और ख के स्थान पर, निम्नितिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

प्ररूप-क

[देखिए नियम 4 (4) (i)]

4041	ता सूचा म नाम शामल करन/।	कसा प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार	में नाम रखने के लिए आवदन
रोवा ग	Y		
	पुनरीक्षण प्राधिकारी,		हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का
3.75	नगर निगमव	र्ड संख्या	कोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें
	या		इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की
1.0	उपायुक्त		आकृति स्पष्ट हो, विपकाने के लिए स्थान
महोदर	α,		
,	मैं प्रार्थना करता हूँ वि प्रविच्टि विशिष्टियों की शुद्धि	के उक्त नगर निगम के लिए मतदाता सूची में मेरा की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए ।	नाम सम्मितित कर तिया जाए.
	मतदाता सूची में सा अन्यत्र एखने के मेरे दावे के	म्मितित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।	शुद्धि के तिए या प्रविध्टि को
आवेदर	क के स्पीरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
	•		
v.			
पिता /	'माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
			7.75
		- 1	
	•		¥.
1.	कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाच में उल्लेख किया गया है, लेकिन में शामिल किया जा सकता है।	न क्षेत्रके क्रम संख्या नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं किय	माग नंo गिया है जो अब वार्ड नंo
2.	कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाच में शामिल किया गया है और मेर किया जाये।	न क्षेत्रके क्रम संख्या त नाम नगर निगम की मतदाता सूची के वार्ड संख्य	ा भाग नं0 में शामिल
3.	इस आधार पर कि		
4.	कि भेरा नाम वार्ड गं०	में मजाय वार्ड नंठ मे	प्रविष्टि किया जाये।
5.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मह	ादाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे	
	रूप में यथा वर्णित है और इसे	तु नगर निगम की मतदाता सूची मेंके रूप में स	ही करने के लिए अनरोध है।

स्थानः		•
दिनांक:	दांवेद	तर के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		न का पूरा पता
	मोबा	লি ৰ্ণ০
. विश्वास है या जिसके स	थन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जि त्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरिय 8ग के अधीन दंडनीय होगा।	सके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञा ाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 की
अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।		
* .	की गई कार्रवाईं के ब्यौरे	
(नगर निगम के पु	पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति	हो, द्वारा भरा जाना है)
गै शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अ जर दिया गया है।	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो *स्वीकार कर लिया गया है/*ना
ी शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अ र दिया गया है। स्वीकार करने या नामंजूर करने {	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो •स्वीकार कर लिया गया है/•न
ी शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अ जर दिया गया है। रिवीकार करने या नामंजूर करने {	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो •स्वीकार कर लिया गया है/•ना नियम 4 के अधीन या उसके अनुसर्ष
है। शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को उ हर दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { हे लिए विस्तृत कारणः	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो *स्वीकार कर लिया गया है/*ना नेयम 4 के अधीन या उसके अनुसर्प
है। शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को उ हर दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { हं लिए विस्तृत कारण:	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	नेयम ४ के अधीन या उसके अनुसर्प
है। शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अ हर दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { हे लिए विस्तृत कारणः	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो *स्वीकार कर लिया गया है/*ना नेयम 4 के अधीन या उसके अनुसर्प
ो शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अ र दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { र्ज लिए विस्तृत कारणः स्थानः	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो •स्वीकार कर लिया गया है/•न नियम 4 के अधीन या उसके अनुसर्प
े शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को उ र दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { ह लिए विस्तृत कारणः स्थानः तारीखः	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	हो •स्वीकार कर लिया गया है/•न नेयम 4 के अधीन या उसके अनुसर्
े शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अ र दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { ह लिए विस्तृत कारण: स्थान: तारीख:	अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन व हिरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के f	नेयम 4 के अधीन या उसके अनुसर्प (पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
े शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को उ र दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { ह लिए विस्तृत कारणः स्थानः तारीखः अनुपयुक्त विकल्प को काट दें। स्त्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान प्ररूप क मे श्री/श्रीमती/कु	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	नेयम 4 के अधीन या उसके अनुसर् (पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर) विसी अधिकारी की टिप्पणी
े शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को उ र दिया गया है। स्वीकार करने या नामजूर करने { ह लिए विस्तृत कारणः स्थानः तारीखः अनुपयुक्त विकल्प को काट दें। स्त्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान प्ररूप क मे श्री/श्रीमती/कु	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	नेयम 4 के अधीन या उसके अनुसर् (पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर) विसी अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनाक:-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	दावेदार के हस्ताक्ष	र या अंगूठे का निशा
प्रार्थन	ना पत्र की पावती तथा सुन	वाई की तिथि से सम्ब	न्घत सूचना	
	(प्रार्थी	के लिये)		
	4.			
श्री/श्रीमती/कुमारी		जो नगर	नेगम	
का निवासी है, से प्ररूप	3			
भावेटन में सनवार प्रनारि	um meland and mus		में किएट आपने का	
आवेदन में सुनवाई पुनरी				
को		बजे की जायेगी।		
		बजे की जायेगी।		
को		बजे की जायेगी।		
को		बजे की जायेगी। देए जाते है।	उसे सुनवाई	
को दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थि		बजे की जायेगी। देए जाते है।	उसे सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी	के लिये आवश्यव की ओर से आवेदन
को दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थि		बजे की जायेगी। देए जाते है।	उसे सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी प्राप्त करने वाले आं	के लिये आवश्यव की ओर से आवेदन धेकारी के हस्ताक्षर
को दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थि		बजे की जायेगी। देए जाते है।	उसे सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी	के लिये आवश्यव की ओर से आवेदन धेकारी के हस्ताक्षर
को दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थि		बजे की जायेगी। देए जाते है।	उसे सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी प्राप्त करने वाले अर्षि (पता	के लिये आवश्यव की ओर से आवेदन धेकारी के हस्ताक्षर

प्रकप-ख दिखिए नियम ४ (४)(१))

मतदाता सूची में नाम की	ो प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटार	पे जाने हेतु आवेदन
प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। में मैं निवेदन करता हूँ कि •मुझर	तेए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति रे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा त/•नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि व	रहे हैं :
जाना अपेक्षित है: आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
বার্ভ নত :	का नाम नगर की क्रम संख्या	निगम की मतदाता सूची वं
क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नग	र निगम की हद में नही है। का नाम वार्ड नंo	
. घोषणाः मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊप है।	पर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम	ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही
थानः निकः -		र के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान त का पूरा पता
प्पण— कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण व	मोबाईट मोबाईट जरता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने	

है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा हम के अधीन दंडनीय होगा।

• अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

	3
714 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 14, 2017 (PHO	EN. 23, 1938 SAKA)
की गई कार्रवई के ब्लोरे	
(नगर निगम के पुनरीइन प्राधिकारी द्वारा भरा जा	না है)
श्री/श्रीमती/कुनारी का उ	लय ख में मतदाता सूची र
श्री/श्रीनती/कुनारी के नाम को न्त्रीनितित किए जाने प	र/•हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन
स्वाकार कर लिया गया ह <i>्र</i> नामजुर कर दिया गया है ।	-
स्वीकार करने या नामंजूर करने (हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियन, 1994	(1994 का 16) के नियन 4 के अधीन य
उसके अनुसरण में) के लिए दिस्तृत कारण :	
स्यानः	
तारीख:	
पुनरीवन प्राधिकारी के हस्तावर	(पुनरोक्षम प्राधिकारी की मुहर)
मतदाता सूची के अंतिन प्रकारान के परचात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान •अनुपयुक्त दिकल्प को काट दें ।	
क्षेत्र स्तरीय अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदानिहित अधिकारी, पर्य	विद्यी बिष्टिकारी) की टियागी
प्ररूप ख ने श्री/श्रीनवी/कुनारी में प्रविष्टि किया गया है।	पता
	को इन त्तंख्या
सुनवाई के लिये निश्चित विथि तथा समय	5
	हत्त्वाकर तथा पदनान
(कार्यालय के लिए पावती)	
दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त	कर ती है।
दिनाक:—	
दावेदा-	र के हत्ताक्षर या अंगूठे का निशान
ਧਾਣੀਰਾ ਸਕ ਕੀ ਜ਼ਰੂਕੀ	2.7
प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की विधि से सम्बन्धि (प्रार्थी के तिये)	वत सूचना
श्री /श्रीवरी /	
का निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।	म
आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण पाधिकारी टारा क्राप्त	
आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान को करे की ज्योगी।	में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक
स्तावेजों / जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते है।	उस सुनवाई के लिये आवश्यक
देनाक:—	
7 130	नरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन
	प्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	नता

11, जन्त नियमों में प्ररूप 1क तथा 1ख में, "[देखिए नियम 9 (6)]" कोष्ट्रकों, शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "[पेखिए नियम 4 (4)(ii)]" शब्द अंक तथा कोष्ट्रक प्रतिस्थापित किए जांएगे।

12. चक्त निवर्गों में प्ररूप=म तथा घ का लोप कर दिया जाएगा।

आनन्द एम. शरण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2017

No. 4/4/2017-R-II. — In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:

- 1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2017.
- 2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), for the existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "3. Appointment of Revising Authorities. The Deputy Commissioner shall appoint any Gazetted Officer to be a Revising Authority for the purpose of hearing claims and objections relating to ward wise electoral roll and may specify the ward or wards for which he shall be the Revising Authority."
- 3. In the said rules, for existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

37.0

11.

L'ate

1

- "4. Preparation of ward wise roll.-(1) The Deputy Commissioner under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Corporation, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.
- (2) The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by the State Election Commission for the preparation of ward wise roll as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the electoral roll for that ward of the Corporation which shall be prepared in Hindi and in such other language or languages and in such form, as the State Election Commission may direct.
- (3) As soon as the ward wise roll of a Municipal Corporation is ready, the Deputy Commissioner shall publish it as draft together with a notice intimating the date by which objections or claims with regard to the ward wise roll may be presented to the Revising Authority specified therein. A copy of the ward wise roll of each ward of Corporation alongwith the notice shall be pasted at the office of the Deputy Commissioner, at the office of the Municipal Corporation and at such other conspicuous place(s) as the Deputy Commissioner may determine:
- Provided that a period of not less than five days shall be allowed for filing claims and objections.

 (4) (i) Every claim and objection regarding distribution of electors ward wise shall be addressed and presented to the Revising Authority in the prescribed Form A and B or may be sent by registered post to him.

Provided that claims in Form-A shall be filed by those applicants, who intend to include their name, make correction in their entry or transposing of their name in another ward in the electoral roll. Objections in Form-B may be filed by those applicants who intend to object inclusion of name or seek deletion of a name from the electoral roll.

Provided further that only those persons shall file their claim for inclusion of their name in the electoral roll of Municipal Corporation, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft electoral rolls published under sub-rule (3) of this rule.

- (ii) The Revising Authority shall maintain a register of claims in Form I-A and register of objections in Form I-B, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.
- (iii) Any claim or objection under clause (i) which is not lodged within the prescribed period, or in the form, or, if lodged, by a person not entitled to lodge the same, shall be rejected.
- (iv) If any claim or objection is presented by a person to the Revising Authority which is not authorized to receive it, such Revising Authority shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate Revising Authority.
- (v) Where a claim or objection is not disposed of under clause (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections has expired, the Revising Authority shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard. One copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.
- (vi) If on an application made to the Revising Authority in this behalf or on his own motion, he is satisfied that the draft electoral roll is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft rolls, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose he may amend, delete or add an entry in that roll.
- (vii) On the date and at the place fixed under clause (v), the Revising Authority shall hear and decide the claims and objections according to their merits after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in the case of a claim any person who objects to the admission of such a claim and after considering such evidence as may be produced or may appear necessary to him, he shall-
 - (a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders as he may deem fit;
 - (b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.
- (viii) Any person aggrieved by any such order of the Revising Authority, may file appeal within three days from the date of order to the Deputy Commissioner, who shall within three days either confirm such order, or set it aside or pass such other order with respect to the claim or objection as he may deem fit.
- (ix) As soon as the Revising Authority has disposed of all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections alongwith his orders thereon to the Deputy Commissioner who shall cause the ward wise roll to be corrected, in accordance with the orders passed by the Revising Authority or by him in appeal under clause (viii), as the case may be. The rolls so amended shall be final and two copies thereof duly signed by the Deputy Commissioner and Revising Authority shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders. Any ward wise roll corrected and published under the provisions of clause (ix) shall come into force from the date of such publication."
- 4. In the said rules, rules 5 to 11 shall be omitted.
- 5. In the said rules, in rule 12,-
 - (i) in sub rule (3), for the word and figure "rules 4 to 11", the word, figure and sign "rule 4" shall be substituted;
 - (ii) in sub rule (4), for the word and figure "rules 7 to 11", the word, figure and sign "rule 4" shall be substituted; and
 - (iii) in sub rule (5), for the words and figure "rule 7" and " rule 11", the word, figure and bracket "rule 4 (3)" and "4 (4) (ix)" shall be substituted.
- 6. In the said rules, the rule 13 shall be omitted.
- 7. In the said rules, for existing rule 14, the following rule shall be substituted namely:-
 - "14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published.- Any person whose name is not included in the ward wise electoral roll finally published may apply to the Deputy Commissioner for addition/deletion/correction of his name in the ward wise electoral roll:

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise electoral roll of a Municipal Corporation shall only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of

assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Municipal Corporation.".

- 8. In the said rules, rule 15 and 16 shall be omitted.
- 9. In the said rules, in rule 17, in sub-rule(1),-
 - (i) in clause (c), for the word and figure "rule 9", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (i)" shall be substituted;
 - (ii) in clause (d), for the word and figure "rule 10" the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (vii) and (viii)" shall be substituted; and
 - (iii) clause (g) shall be omitted.

 In the said rules, for the existing Forms A and B, the following forms shall be substituted, namely:-"Form-A

[See rule 4 (4) (1)]

Application for inclusion of name	correction of any entry c electoral roll	or transposing of name in anothe	y ward in the		
To The Revising Authority, Municipal Corporation Or Deputy Commissioner I request that my name be Corporation. My particulars in suppo	included, corrected or trans	Proposed in the electoral roll for the a	SPACE FOR PASTING ONE RECENT ASSPORT SIZE CITCAIR APH (3.5 em X 3.5 em) SHOWING RONTAL VIEW P FULL FACE THIN THIS BOX. EXCLE Municipal e electoral rolls		
Applicant's details	Name	Surname (if any)			
*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if any)			
Assembly Constituency but ha may now be included in the v 2. That my name has been included. Assembly Constituency and include the constituency and included the cons	s not been included in the vard No.	o of electoral rolls of Municipal Cor rt No of oral roll of Ward No	poration which		
Corporation. 3. That the entry in electron on the ground	toral roll	be corrected	15		
4. That my name be entered in wa					
as	5. Entry of my particular in the electoral roll of Legislative Assembly Constituency are mentioned asbut in the electoral roll of Municipal Corporation have been mentioned				
6. Declaration I hereby declare that the facts belief.	and particulars mentioned	above are true to the best of my	knowledge and		
Place: Date:		Signature or thumb impression of Complete Address of the application			
	' · ·	Mobile No			

Note.— Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

^{*}Strike out the inappropriate alternative

(To be filled by Revis	Detail of action taken ing Authority of Municipal Corporation or th	e Deputy Commissioner as the case may be
any entry or transposing	of Shri/Smt/Km	oll in Form-A has been accepted*/rejected*.
Corporation Election R	ules, 1994	
i ca		
Place: Date:	Standard of David Annual Control	
*Strike out the inapprop	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)
	ks of Fleld Level Officer e.g. BLO, Designated	Offices Supervisory Offices
in		
Address	in Form A from Sh./Smt./Kumari	
	and entered at Sr. No of the entr	v register.
		, 100
Dale and time fixed for h	earing	,
ing and the second of the seco		
		Sign and Designatio
	(Receipt for office use)	
Obtained the information	about the date and time fixed for the hearing of	claim/objection.
and the state of the second		
Pated:	Slar	nature and thumb impression of the applican
		nature and thumb impression of the applican
R	eccipt of application and information about t	the date of hearing
	(for applicant)	
An application has sident of Municipal Corp	as been received in Form A from Sh./Smt./K	
The hearing in the a	applicant will be done by the Revising Authorit . He/She is directed to appear for	ty at his office situated at
formation.	- 	·
te:		the officer receiving the application on lf of the Revising Authority
	(Address_	

Form-B

[See rule 4 (4) (i)]

	ting inclusion or seeking deletion of name in	- CICCIOI BI TOII
Or Deputy Commissioner Sir, I object to the proposed in the above Municipal Corporation. Parti	nclusion of the name of the under mentioned p culars in support of my objection are given bel	ow:
I submit that the entry re reasons stated hereunder:	lating to my self/the person named below is	required to be delete for the
Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's / Mother's Name/ Husband's	Name	Surname (if any)
1. That the name of Sh./Smt/Miss	is mentioned at Sr. No. of W but the area in which the said person is residir	Vard Noin the electora
1		
 That the name of Sh./Smt/Miss Declaration 	is included in Ward No id particulars mentioned above are true to the b	instead of Ward No
 That the name of Sh./Smt/Miss Declaration 	is included in Ward No	instead of Ward No est of my knowledge and of the claimant

section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken

(To be filled by K	Revising Authority	of Municip	al Corporat	ion)
--------------------	--------------------	------------	-------------	------

The application -0.01	20.44	abbatha ta tarbata tarbina deletian
ame of Shri/Smt /Km	in the electoral rol	_ objecting to inclusion/ seeking deletion
	,	
reportaion Election Rules, 1		suance of rule 4 of the Haryana Munici
estrantes mechan traiss		
Place:		
Date:	Stanatura of Paulatan Authoritis	(San) of the Beylding Authority)
MIN	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)
uring continuous updating a	fer final publication of electoral roll.	8
Strike out the mappropriate	alternative	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Remarks of	Field Level Officer e.g. BLO, Designated	Officer, Supervisory Officer
eceived an application in Fo	rm B from Sh./Smt./Kumari	
ddress		
nd entered at Sr. No.	of the entry register.	
ate and time fixed for hearing		
	13 6 4 5 4 8 5	, ,,
	맞으로 기타였다면 얼마나 나는	Sign and Designa
	(Receipt for office use)	
minima in the state of	(Receipt for office use)	
tained the information abou	at the date and time fixed for the hearing of	of claim/objection.
ited:	in said said said said said said said said	gnature and thumb impression of the appl
	시마 보통의 교육의 교리 및 경기를	맛이라는 바다면 모든 사람들이 모르는 것

Receipt of application and information about the date of hearing (for applicant)

reside	An of ?	applicat Municipal	ion has Corpor	been received in	Fon	m B fr	om Sh/Sr	mt/Kumari	who i
nt				on	be	done	by the	Revising Authority at his office He/She is directed to appear for	situate hearing
along	with n	ecessary	docume	nts/information.					
Date:							Signatur	e of the officer receiving the application	on
			gamentum.					Behalf of the Revising Authority	
							(Address_		

- 11. In the said rules, in Form "1-A and 1-B", for the words, figure and signs "[see rule 9 (5)], the words, figure and signs "[see rule 4(4)(ii)]" shall be substituted.
- 12. In the said rules, the Form "C & D" shall be omitted.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

55140-C.S.-H.G.P., Chd.